

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर  
राजस्व आवेदन सं 416/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गोड़ाराम वगैरा बनाम भेराराम वगैरा  
पीठारीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस  
प्रार्थी वकील - श्री दोष मोहम्मद

**निर्णय**

दिनांक - 31/3/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 292 रकबा 1.6187 हैक्ट., खसरा संख्या 303 रकबा 1.8373 हैक्ट., खसरा संख्या 431/326 रकबा 2.6952, रकबा 499/420 रकबा 0.2832 हैक्ट., खसरा संख्या 503/422 रकबा 1.2384 हैक्ट. किरम बा.सो. तथा खसरा संख्या 505/317 रकबा 0.0243 हैक्ट. किरम गै.मु. ढाणी स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण वक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पथरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 292 रकबा 1.6187 हैक्ट., खसरा संख्या 303 रकबा 1.8373 हैक्ट. खसरा संख्या 431/326 रकबा 2.6952, रकबा 499/420 रकबा 0.2832 हैक्ट. खसरा संख्या 503/422 रकबा 1.2384 हैक्ट. किरम बा.सो. तथा खसरा संख्या 505/317 रकबा 0.0243 हैक्ट. किरम गै.मु. ढाणी स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है; नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/3/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

  
(रामजी भाई कलबी)

उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा